

भारत सरकार  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 4663  
दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

**मिशन शक्ति**

**4663. सुश्री सयानी घोष:**

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मिशन शक्ति के अंतर्गत कितनी योजनाओं का विलय किया गया है;
- (ख) 'संबल' और 'सामर्थ्य' को आवंटित और उनके द्वारा उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है और दोनों पहलों के अंतर्गत आरंभ से लेकर अब तक शामिल प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है;
- (ग) मिशन शक्ति के अंतर्गत आरंभ से लेकर अब तक वर्षवार और राज्यवार कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है; और
- (घ) क्या वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच महिला सुरक्षा के लिए निधि में केवल 7 प्रतिशत की वृद्धि की गई जबकि समग्र बजट में 38.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**  
**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**  
**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

**(क) से (घ):** भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए एक व्यापक योजना के रूप में एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम 'मिशन शक्ति' शुरू किया है, जिसे 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान अर्थात् वित्त वर्ष 2025-26

तक कार्यान्वित किया जाएगा। यह योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से पूरे देश में प्रभावी है।

मिशन शक्ति की दो उप-योजनाएँ अर्थात् महिलाओं की सुरक्षा के लिए **"संबल"** और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए **"सामर्थ्य"** है। 'संबल' में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत घटक हैं। 'सामर्थ्य' में शक्ति सदन, सखी निवास, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पालना और संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र (संकल्प: एचईडब्ल्यू) घटक हैं।

मिशन शक्ति एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है और इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। मिशन शक्ति के विभिन्न घटकों के तहत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) या एसएनए स्पर्श के लिए निर्धारित व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के आधार पर निधियां जारी की जा रही हैं। वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

अनुलग्नक

सुश्री सयानी घोष द्वारा “मिशन शक्ति” के संबंध में दिनांक 28.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4663 के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक

ओएससी के तहत जारी किए गए निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23 जारी की गई	2023-24 जारी की गई
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.15	1.36
2	आंध्र प्रदेश	0.73	6.06
3	अरुणाचल प्रदेश	0.40	8.48
4	असम	1.30	17.55
5	बिहार	0.00	0.00
6	चंडीगढ़	0.49	0.17
7	छत्तीसगढ़	3.05	8.82
8	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	0.00	0.50
9	दिल्ली	1.39	1.85
10	गोवा	0.00	0.00
11	गुजरात	3.87	11.66
12	हरियाणा	1.87	5.95
13	हिमाचल प्रदेश	0.19	4.03
14	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	3.36
15	झारखंड	0.00	0.00
16	कर्नाटक	1.31	10.54
17	केरल	1.39	0.00
18	लद्दाख-संघ राज्य क्षेत्र	0.00	0.34
19	लक्षद्वीप	0.00	0.17
20	मध्य प्रदेश	2.62	8.20
21	महाराष्ट्र	0.69	15.40
22	मणिपुर	5.43	2.69
23	मेघालय	2.33	3.22
24	मिजोरम	1.78	2.83
25	नागालैंड	1.97	5.46
26	ओडिशा	6.15	10.85
27	पुद्दुचेरी	0.18	0.00
28	पंजाब	0.00	3.89
29	राजस्थान	1.30	8.84
30	सिक्किम	0.77	1.26
31	तमिलनाडु	6.97	11.59
32	तेलंगाना	13.93	12.17

33	त्रिपुरा	0.18	0.00
34	उत्तर प्रदेश	3.47	18.13
35	उत्तराखंड	1.53	4.37
36	पश्चिम बंगाल	0.28	0.00
	<b>कुल</b>	<b>65.73</b>	<b>189.73</b>

**डब्ल्यूएचएल के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा**

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई राशि (राशि करोड़ में)	
		2022-23	2023-24
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.26	0.43
2	आंध्र प्रदेश	0.00	0.69
3	अरुणाचल प्रदेश	0.28	0.55
4	असम	0.00	0.28
5	बिहार	0.00	1.05
6	चंडीगढ़	0.50	0.19
7	छत्तीसगढ़	0.28	0.55
8	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	0.00	0.28
9	दिल्ली	0.00	0.00
10	गोवा	0.78	0.55
11	गुजरात	0.00	1.13
12	हरियाणा	0.00	0.83
13	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00
14	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.55
15	झारखंड	0.00	0.83
16	कर्नाटक	0.00	0.95
17	केरल	0.28	0.41
18	लद्दाख-यूटी	0.00	0.28
19	लक्षद्वीप	0.00	0.28

20	मध्य प्रदेश	0.54	0.38
21	महाराष्ट्र	0.00	0.00
22	मणिपुर	0.00	0.00
23	मेघालय	0.48	0.28
24	मिजोरम	0.00	0.69
25	नागालैंड	0.58	0.28
26	ओडिशा	0.45	0.54
27	पुदुचेरी	0.00	0.00
28	पंजाब	0.00	0.28
29	राजस्थान	0.38	0.76
30	सिक्किम	0.00	0.28
31	तमिलनाडु	0.46	0.49
32	तेलंगाना	0.74	0.00
33	त्रिपुरा	0.00	0.00
34	उत्तर प्रदेश	0.17	0.96
35	उत्तराखंड	0.00	0.58
36	पश्चिम बंगाल*	0.00	0.00
	<b>कुल</b>	<b>6.16</b>	<b>15.34</b>

\*पश्चिम बंगाल डब्ल्यूएचएल योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहा है।

**बीबीबीपी के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा**  
(राशि करोड़ में)

क्रम सं	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2022-23 जारी की गई	2023-24 जारी की गई
1	आंध्र प्रदेश	5.2	0
2	अरुणाचल प्रदेश	5.8	0
3	असम	8.9	0
4	बिहार	6.6	0
5	छत्तीसगढ़	7.6	0
6	गोवा	0	0
7	गुजरात	3.4	5.51
8	हरियाणा	0	4.94
9	हिमाचल प्रदेश	1.19	2.8
10	जम्मू एवं कश्मीर	0	5.43
11	झारखंड	2.9	0
12	कर्नाटक	7.5	0
13	केरल	3.1	0
14	मध्य प्रदेश	5.7	13.69
15	महाराष्ट्र	0	0
16	मणिपुर	0	0
17	मेघालय	0	0
18	मिजोरम	0	2.8
19	नागालैंड	4.99	1.86
20	ओडिशा	4.1	0
21	पंजाब	0	6.67
22	राजस्थान	4.14	6.75

23	सिक्किम	0	0.9
24	तमिलनाडु	7.6	8.03
25	तेलंगाना	8.2	0
26	त्रिपुरा	1.8	2
27	उत्तर प्रदेश	0	20.93
28	उत्तराखंड	0.63	3.96
29	अंडमान और निकोबार	0	0.53
30	चंडीगढ़	0	0.15
31	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	0	0
32	एनसीटी दिल्ली	0.8	0
33	लक्षद्वीप	0	0
34	पुदुचेरी	0	0.55
35	लद्दाख	0	0
36	पश्चिम बंगाल*	0	0
	<b>कुल</b>	<b>90.15</b>	<b>87.49</b>

\* पश्चिम बंगाल बीबीबीपी योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहा है

नारी अदालत के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(राशि करोड़ में)

क्रम सं	राज्य	2023-24
		जारी की गई
1	असम	0.21
2	जम्मू और काश्मीर	0.21
	<b>कुल</b>	<b>0.42</b>

\*नारी अदालत को वर्ष 2023-24 से असम तथा जम्मू और कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों में सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है।



शक्ति सदन के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(राशि करोड़ में)

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों	2022-23	2023-24
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.00	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	0.00	11.61
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
4.	असम	1.39	18.52
5.	बिहार	0.00	0.00
6.	चंडीगढ़	0.27	0.00
7.	छत्तीसगढ़	0.00	1.01
8.	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	0.00	0.00
9.	दिल्ली	0.00	0.62
10.	गोवा	0.00	0.00
11.	गुजरात	0.00	0.00
12.	हरियाणा	0.00	0.00
13.	हिमाचल प्रदेश	0.03	0.36
14.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.67
15.	झारखंड	0.00	0.95
16.	कर्नाटक	0.00	11.28
17.	केरल	0.00	0.49
18.	लद्दाख	0.00	0.00
19.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
20.	मध्य प्रदेश	0.23	3.42
21.	महाराष्ट्र	0.00	3.38
22.	मणिपुर	10.62	28.90

23.	मेघालय	0.00	0.00
24.	मिजोरम	0.00	3.05
25.	नागालैंड	0.00	0.52
26.	ओडिशा	1.32	2.46
27.	पुदुचेरी	0.00	0.25
28.	पंजाब	0.00	0.00
29.	राजस्थान	0.00	1.17
30.	सिक्किम	0.00	0.38
31.	तमिलनाडु	0.00	15.17
32.	तेलंगाना	0.00	6.35
33.	त्रिपुरा	0.00	1.22
34.	उत्तर प्रदेश	1.58	0.00
35.	उत्तराखंड	0.00	0.00
36.	पश्चिम बंगाल	0.00	7.20
	<b>कुल</b>	<b>15.45</b>	<b>118.98</b>

सखी निवास के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(राशि करोड़ में)

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.22
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
3	असम	0.00	0.61
4	बिहार	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.27
6	दिल्ली	0.00	0.00
7	गुजरात	0.00	0.46
8	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.09
9	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.05
10	कर्नाटक	0.00	0.00
11	केरल	3.84	0.48
12	मध्य प्रदेश	0.00	0.00
13	महाराष्ट्र	0.00	0.00
14	मिजोरम	0.00	0.00
15	मणिपुर	7.85	0.59
16	नागालैंड	0.00	1.75
17	पंजाब	0.00	0.00
18	सिक्किम	0.00	0.00
19	तमिलनाडु	5.94	0.00
20	तेलंगाना	0.00	0.00
21	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00
	<b>कुल</b>	<b>17.63</b>	<b>4.52</b>

पालना के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(राशि करोड़ में)

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23	2023-24
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.13
2	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00
3	असम	0.00	2.02
4	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
5	बिहार	0.00	0.53
6	चंडीगढ़	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	0.00	19.75
8	दिल्ली	0.00	1.83
9	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	0.00	0.62
10	गोवा	0.00	0.09
11	गुजरात	0.00	0.00
12	हरियाणा	0.00	0.00
13	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00
14	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	7.28
15	झारखंड	0.00	10.03
16	कर्नाटक	0.83	5.61
17	केरल	0.00	5.19
18	लद्दाख	0.00	0.11
19	लक्षद्वीप	0.00	0.01
20	मध्य प्रदेश	0.00	0.00
21	महाराष्ट्र	0.00	2.32
22	मणिपुर	0.00	0.54

23	मिजोरम	0.00	2.28
24	मेघालय	0.00	1.20
25	नागालैंड	0.00	1.84
26	ओडिशा	0.00	0.00
27	पुदुचेरी	1.03	0.26
28	पंजाब	0.00	0.00
29	राजस्थान	0.00	0.00
30	सिक्किम	0.00	0.17
31	तमिलनाडु	2.83	1.74
32	तेलंगाना	0.00	0.22
33	त्रिपुरा	0.00	0.00
34	उत्तराखंड	0.00	0.39
35	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00
36	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00
<b>कुल</b>		<b>4.68</b>	<b>64.16</b>

पीएमएमवीवाई के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(राशि करोड़ में)

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23	2023-24	2024-25 (26.03.2025 के अनुसार )
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.18	0.00	0.33
2.	आंध्र प्रदेश	71.89	57.99	44.96
3.	अरुणाचल प्रदेश	1.43	0.00	1.98
4.	असम	79.18	155.05	12.11
5.	बिहार	171.74	0.00	141.53
6.	चंडीगढ़	0.62	4.08	0.00
7.	छत्तीसगढ़	72.75	0.00	68.72
8.	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	1.84	0.91	2.37
9.	गोवा	1.61	0.00	1.86
10.	गुजरात	10.75	75.64	72.48
11.	हरियाणा	63.66	0.00	33.29
12.	हिमाचल प्रदेश	14.19	10.56	26.85
13.	जम्मू एवं कश्मीर	20.60	33.60	24.57
14.	झारखंड	29.27	0.00	39.30
15.	कर्नाटक	148.87	113.96	102.53
16.	केरल	53.96	61.06	0.00
17.	लद्दाख*	0.31	0.69	0.62
18.	लक्षद्वीप	0.14	0.23	0.27
19.	मध्य प्रदेश	204.02	105.51	256.99
20.	महाराष्ट्र	240.83	0.00	103.14
21.	मणिपुर	3.45	7.93	0.00
22.	मेघालय	6.26	0.00	3.45
23.	मिजोरम	1.99	1.40	2.55

24.	नागालैंड	2.03	2.42	3.10
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	31.46	27.15	6.50
26.	ओडिशा	0.00	0.00	43.48
27.	पुदुचेरी	1.96	0.00	1.75
28.	पंजाब	18.82	32.05	32.03
29.	राजस्थान	81.84	123.23	98.17
30.	सिक्किम	0.70	1.28	0.00
31.	तमिलनाडु	68.03	0.00	56.94
32.	त्रिपुरा	3.27	11.31	5.42
33.	उत्तर प्रदेश	500.68	0.00	0.00
34.	उत्तराखंड	16.69	30.35	18.53
35.	पश्चिम बंगाल	63.22	0.00	0.00
	<b>कुल</b>	<b>1988.25</b>	<b>856.42</b>	<b>1205.83</b>

**संकल्प: एचईडब्ल्यू के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार जारी की गई निधियों का ब्यौरा**

(राशि करोड़ में)

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों	2022-23	2023-24
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.59	0.59
2.	आंध्र प्रदेश	2.12	0.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	3.07	0.00
4.	असम	4.23	10.72
5.	बिहार	3.05	0.00
6.	चंडीगढ़	0.33	0.74
7.	छत्तीसगढ़	2.66	0.00
8.	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	0.59	0.00
9.	दिल्ली	0.97	0.00
10.	गोवा	0.00	0.30
11.	गुजरात	2.66	3.53
12.	हरियाणा	1.82	0.00
13.	हिमाचल प्रदेश	1.57	2.00
14.	जम्मू और कश्मीर	0.00	7.25
15.	झारखंड	0.12	1.85
16.	कर्नाटक	0.00	2.51
17.	केरल	1.20	1.53
18.	लद्दाख	0.46	0.46
19.	लक्षद्वीप	0.33	0.00
20.	मध्य प्रदेश	0.00	4.96
21.	महाराष्ट्र	0.00	9.22
22.	मणिपुर	2.03	0.00



23.	मेघालय	1.57	2.89
24.	मिजोरम	1.45	1.39
25.	नागालैंड	0.00	4.51
26.	ओडिशा	0.00	0.00
27.	पुदुचेरी	0.12	0.31
28.	पंजाब	1.89	0.00
29.	राजस्थान	2.66	3.43
30.	सिक्किम	0.00	0.87
31.	तमिलनाडु	3.05	7.47
32.	तेलंगाना	2.66	3.38
33.	त्रिपुरा	1.11	0.00
34.	उत्तर प्रदेश	5.90	0.00
35.	उत्तराखंड	1.68	2.15
36.	पश्चिम बंगाल*	0.00	0.00
	<b>कुल</b>	<b>49.90</b>	<b>72.04</b>

\* पश्चिम बंगाल इस योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहा है

\*\*\*\*\*